12/7/24 पत्रावली पेश हुई। वसूली डिक्रीदार उप० तहसीलदार सांगानेर द्वारा इजरायत प्रा० पत्र की कार्यवाही चालना कर दी गई है। इजरायत प्रा० पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। इजरायत की कार्यवाही क्लोज की जाती है। पत्रावली फेयल शुमार होकर इजरायत से कम हो वाइ तकमील अभिलेख दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

डिक्री के निष्पादन के लिए
(आदेश 21 के का नियम 1
डिक्रीदार, इसके द्वारा नीचे दी गई डिक्री

डिक्री की तारीख	क्या डिक्री की कोई अपील की गई है	यदि कोई संदाय या समायोजन किया गया है तो वह संदाय या समायोजन	यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	डिक्री की रकम उस पर शोध्य ब्याज के
3	4	5	6	
07.07.2025				

ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
5/12/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:30:25 IST
Reason: SelfAttested